न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 161/2016

मंगासिंह पुत्र जोरासिंह जाति मजहबी निवासी 2 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर। —रेस्पोंडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर श्रीगंगागर दिनांक 05.08.2000

उपस्थितिः–

श्री अजय पारीक अभिभाषक अपीलार्थी
श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 19.06.2018

अपीलांट द्वारा यह अपील जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 05.08.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त आदेश के द्वारा अपीलांट के पिता जोरा सिंह को चक 4 एफ.डी. के मु.नं. 23 की 15.09 बीघा भूमि किश्तों की राशि जमा नहीं कराने से आवंटित रकबा खारिज किया गया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि का आवंटन अपीलांट के पिता को किया गया था। किश्तों की राशि जमा कराने के सम्बन्ध में अपीलांट को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। अपीलांट के पिता की मृत्यु हो चुकी है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर, बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए अपीलांट से किश्तें जमा करवाने के आदेश दिये जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के पिता द्वारा आवंटन के पश्चात किश्तों की राशि जमा नहीं करवायी एवं नोटिस

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

जारी किये गये। ऐसी स्थिति में आयंटन खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। इसके अलावा अपीलांट द्वारा यह अपील लगभग 16 वर्ष विलम्ब से पेश की है। देरी बाबत समुचित कारण पेश नहीं किये हैं। अतः मियाद के बिन्दु पर भी अपील खारिज की जाने योग्य है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 05.08.2000 के विरूद्ध दिनांक 05.07.2016 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र पेश कर अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 10.08.2015 को होना बताया है। उक्त जानकारी किससे व किस सन्दर्भ में हुई। ऐसा प्रा.पत्र में अंकित नहीं किया है। इस प्रकार प्रा.पत्र में जो आधार अंकित किये हैं वे पर्याप्त आधार नहीं होने से लगभग 16 वर्ष के विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अधी. न्यायालय द्वारा किश्तों की राशि जमा करवाने के सम्बन्ध में समय-समय पर अपीलांट के पिता को नोटिस जारी किये गये फिर भी अपीलांट द्वारा राशि जमा नहीं करवायी। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट मियाद बाहर होने के साथ-साथ गुणावगुण के आधार पर भी स्वीकार करने योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/6/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर